सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 750 राँची, मंगलवार 31 जुलाई, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

20 जून, 2017

कृपया पढ़े:-

1. उपायुक्त, गुमला का पत्रांक- 1428(ii) दिनांक 26 सितम्बर, 2015 एवं पत्रांक-551(ii)/स्था०, दिनांक 19 मई, 2016

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-9570, दिनांक 2 नवम्बर, 2015 एवं पत्रांक-313, दिनांक 13 जनवरी, 2016 तथा संकल्प सं०-9317, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-191, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

Sr. No.	Employee Name (G.P.F.)	Decision of the Competent Authority
1	ALKA KUMARI (20060400006)	श्रीमती अलका कुमारी, झा०प्र०से० (प्रथम बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, गुमला के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गिकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(IV)के तहत तघु शास्ति के रूप में दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

संख्या- 5/आरोप-1-70/2015-45 (HRMS)-- श्रीमती अलका कुमारी, झा०प्र०से०, (प्रथम बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन अंचल अधिकारी, गुमला के विरुद्ध उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-1428(ii), दिनांक 26 सितम्बर, 2015 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमे इनके विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किए गए हैं-

आरोप सं०-1- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के अधीन अंचल कार्यालय, गुमला के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान दिनांक 1 फरवरी, 2012 से 30 सितम्बर, 2014 तक इनके द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में सरकारी नियम का उल्लंघन किया गया- (क) श्रीमति अलका कुमारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गुमला दिनांक 1 फरवरी, 2012 से 30 सितम्बर, 2014 तक अंचल अधिकारी, गुमला के पद पर पदस्थापित थी । (ख) उक्त अवधि में श्रीमती अलका कुमारी के द्वारा विभागीय आदेश के विरुद्ध श्री धीरेंद्र प्रसाद सिंह, वल्द युधिष्ठिर सिंह, जो छतरी जाति थे, जिन्हे ज्ञापांक-jh/507/459, दिनांक 14 मार्च, 2013 के द्वारा खेरवार (अनुसूचित जनजाति) का प्रमाण पत्र दिया गया । श्री धीरेंद्र प्रसाद सिंह, गुमला के निवासी नहीं है । इनका मूल स्थान ग्राम-पगार, पो-पाण्डू, थाना-केरेदारी, जिला- हजारीबाग है । जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के समय उनके मूल स्थान से अंचल अधिकारी, गुमला के द्वारा जाँच नहीं करायी गयी थी । यदि जाँच करायी गयी होती तो श्री धीरेंद्र प्रसाद सिंह को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि भूमि अभिलेख के अनुसार इनकी जाति छतरी है, जो भारत साकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जनजाति में नहीं है । श्री सिंह गुमला के निवासी भी नहीं हैं, इनकी जाति को प्रमाणित करने का कोई अभिलेख इस जिले में उपलब्ध नहीं है । अतः इस जिला से इन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने का कोई औचित्य नहीं बनता और यह प्रमाण पत्र अवैध है ।

आरोप सं०-2- श्रीमति अलका कुमारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गुमला के उक्त कृत्य से नगर पंचायत चुनाव, 2013 में गलत प्रत्याशी का चयन अध्यक्ष पद पर हुआ, जिससे सरकार को भारी राजस्व की क्षति हुई एवं इसके साथ-साथ सरकार की छवि भी धूमिल हुई- आरोप संख्या- 1 के अंतर्गत वर्णित जाति प्रमाण पत्र को श्रीमति अलका कुमारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गुमला द्वारा गलत जाति प्रमाण पत्र दिये जाने के कारण नगर पंचायत चुनाव, 2013 में अध्यक्ष, नगर पंचायत गुमला के पद पर गलत प्रत्याशी का चयन होने के कारण सरकार को भरी राजस्व की क्षति हुई ।

आरोप सं०-3- श्रीमति अलका कुमारी, अंचल अधिकारी, गुमला के द्वारा कृत उक्त कार्य सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित करता है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1) के प्रतिकूल आचरण है- सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1) के प्रावधानानुसार सरकारी सेवक से पूरी सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा की अपेक्षा की जाती है, परंतु श्रीमति अलका कुमारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गुमला के द्वारा इसका पालन नहीं किया गया ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-9570, दिनांक 2 नवम्बर, 2015 द्वारा श्रीमति कुमारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । इसके अनुपालन में श्रीमति कुमारी के पत्रांक-750, दिनांक

7 दिसम्बर, 2015 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । श्रीमति कुमारी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3013, दिनांक 13 जनवरी, 2016 द्वारा उपायुक्त, गुमला से मन्तव्य की माँग की गयी एवं इसके लिए स्मारित भी किया गया । उपायुक्त, गुमला के पत्रांक- 551(ii)/स्था०, दिनांक 19 मई, 2016 द्वारा श्री कुमारी के स्पष्टीकरण पर मन्तव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया गया ।

श्रीमति कुमारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गुमला के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-9317, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत भ०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक- 191, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 द्वारा श्रीमति कुमारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । विभागीय कार्यवाही के दौरान श्रीमति कुमारी द्वारा बचाव एवं संचालन पदाधिकारी का मन्तव्य निम्नवत है -

आरोप सं०-1 पर बचाव बयान- श्रीमति कुमारी का कहना है कि श्री धीरेंद्र प्रसाद सिंह, पिता-युधिष्ठिर प्रसाद सिंह, निवासी बड़ाईक मुहल्ला, वार्ड नं०-18, गुमला, पो०- गुमला, जिला- गुमला ने अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग के ज्ञापांक- 416, दिनांक 30 नवम्बर, 2009 द्वारा उनके पक्ष में निर्गत खेरवार (अनुसूचित जनजाति) का प्रमाण पत्र, जो उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है, कि छायाप्रति तथा निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला द्वारा निर्गत 68 गुमला (अ०ज०जा०) विधान सभा निर्वाचित, 2005, 2009 में विधान सभा के प्रत्याशी (Contesting candidate) होने से संबन्धित पहचान पत्रों कि छायाप्रतियाँ तथा मतदान सूची कि छायाप्रति सहित आवेदन दिया था । उस आवेदन पत्र को संबन्धित राजस्व कर्मचारी को स्थानीय जाँच हेतु सुपुर्द किया गया । उक्त आवेदन पत्र पर श्री अनिल कुमार यादव, वार्ड कमिश्नर ने दिनांक 4 मार्च, 2013 को इस बात का उल्लेख करते हुए अनुशंसा की थी की आवेदक खेरवार जाति का है । उक्त प्रमाण पत्रों/कागजातों एवं श्री अनिल कुमार यादव की अनुशंसा के साथ संबन्धित राजस्व कर्मचारी द्वारा श्री धीरेंद्र प्रसाद सिंह के पक्ष मे अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत खेरवार जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुशंसा करते हुए जाँच प्रतिवेदन दिनांक 14 मार्च, 2013 को समर्पित किया गया । इसी आधार पर श्रीमति कुमारी के हस्ताक्षर से श्री धीरेंद्र प्रसाद सिंह, निवासी बड़ाईक मुहल्ला, वार्ड संख्या 18, गुमला, पो०-गुमला जिला-गुमला के पक्ष में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत खेरवार जाति का प्रमाण पत्र दिनांक 14 मार्च, 2013 को निर्गत किया गया ।

इनका यह भी कहना है की श्री धीरेंद्र प्रसाद सिंह, 68- गुमला (अ०ज०जा०) विधान सभा निर्वाचन, 2005 एवं 2009 में भी अभ्यर्थी के रूप में खड़ा हुए थे । इस संबंध में उनके द्वारा नाम निर्देशन के लिए समर्पित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होगा की श्री धीरेंद्र प्रसाद सिंह, 68 गुमला (अ०ज०जा०) विधान सभा निर्वाचन 2005-2009 में अभ्यर्थी के रूप में खड़ा हुए थे तब अवश्य ही उनके पक्ष में उस समय अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया

होगा । मामला संज्ञान में आते ही पत्रांक 368(ii)/200 दिनांक 16 मार्च, 2013 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी, गुमला को सूचित किया गया था कि श्री धीरेंद्र प्रसाद सिंह पिता- युधिष्ठिर प्रसाद सिंह, जाति खेरवार निवासी बड़ाईक मुहल्ला, वार्ड संख्या-18, थाना- गुमला, राँची को प्रज्ञा केंद्र में बिना कोई कागजात समर्पित किए जाति प्रमाण पत्र भूलवश निर्गत हो गया है, जिसे निरस्त किया जाना है ।

उपायुक्त गुमला के पत्रांक 595(ii) दिनांक 14 सितम्बर, 2013 द्वारा निदेशित किया गया कि श्री धीरेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने से संबंध में निर्गत प्रमाण पत्र के मामले में विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाकर आवश्यक कार्यवाई कि जाय । उक्त आदेश के आलोक में जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने हेतु वाद सं०-01/2013-14 श्रीमति कुमारी, तत्कालीन अंचल अधिकारो, गुमला द्वारा प्रारम्भ कि गई । श्री धीरेंद्र प्रसाद सिंह, पिता- युधिष्ठिर सिंह, वर्तमान निवासी बड़ाईक मुहल्ला, गुमला थाना+पो०+जिला- गुमला को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस का तामिला किया गया । दिनांक 27 सितम्बर, 2013 को श्री धीरेंद्र प्रसाद सिंह वल्द युधिष्ठिर सिंह का पक्ष सुना गया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन किया गया ।

जाँच में पाया गया कि उपायुक्त, हजारीबाग, द्वारा उपायुक्त गुमला को पत्रांक 959/क्र० दिनांक 5 सितम्बर, 2013 द्वारा श्री धीरेंद्र प्रसाद सिंह, पिता- युधिष्ठिर प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम-पगार, पो०- पाण्डु, थाना-केरेडारी, जिला- हजारीबाग द्वारा सूचित किया गया है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से इस मामले कि जाँच कराई गई । उनके द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि श्री धीरेंद्र प्रसाद सिंह वल्द युधिष्ठिर प्रसाद सिंह जाति के छतरी है, जो झारखण्ड राज्य द्वारा प्रकाशित जाति गज़ट में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं है । अनुमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा भी अपने पत्रांक 1649 दिनांक 17 अगस्त, 2013 द्वारा सूचित किया गया है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, केरेडारी एवं अंचल अधिकारी, केरेडारी के द्वारा संयुक्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार श्री सिंह की जाति छतरी है । अपर समहर्त्ता, हजारीबाग द्वारा अपने पत्रांक 898 दिनांक 21 अगस्त, 2013 द्वारा निर्वाची पदाधिकारी (अध्यक्ष पद) सह परियोजना पदाधिकारी मेसों क्षेत्र, गुमला को प्रेषित करते हुए इंगित किया गया है कि अंचल अधिकारी, केरेडारी के पत्रांक 505 दिनांक 16 अगस्त, 2013 के अनुसार सर्वे खतियान ग्राम-पगार के खाता सं०-10 के खतियानी रैयत सर्वे खतियान के अनुसार स्व० कालीचरण सिंह के नाम से दर्ज है, जिसमे कौम छतरी दर्ज है । आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न खतियान कि छायाप्रति में जाति स्पष्ट नहीं है व छेड़छाड़ कि गई है । अपर समाहर्त्ता द्वारा भी सूचित किया गया है कि श्री धीरेंद्र प्रसाद सिंह जाति कि छतरी है, जो झारखण्ड राज्य द्वारा प्रकाशित जाति गज़ट मे अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं है । उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर श्रीमति कुमारी द्वारा आवेदक श्री धीरेन्द्र प्रसाद सिंह के पक्ष में ज्ञापांक JH/507/459 दिनांक 14 मार्च, 2013 को निर्गत खेरवार जाति का प्रमाण पत्र जो अनुमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग सदर के द्वारा पूर्व निर्गत प०स० 3315

दिनांक 19 नवम्बर, 2009 के आधार पर ज्ञापांक JH/507/459 दिनांक 14 मार्च, 2013 को प्रमाण पत्र को आदेश दिनांक 27 सितम्बर, 2013 को निरस्त किया गया है । इसकी सूचना संबन्धित समाचार पत्र, उपायुक्त गुमला, अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला, निर्वाची पदाधिकारी (अध्यक्ष पदा) सह परियोजना पदाधिकारी, मेसों क्षेत्र, गुमला को श्री सिंह का जाति प्रमाण पत्र गलत है, श्री सिंह जाति के खेरवार न होकर जाति के छतरी है, कि सूचना भेजने का आदेश पारित किया गया ।

श्रीमति कुमारी द्वारा उपर्युक्त कागजातों, संबन्धित रा० कर्म०/वार्ड कमिश्नर कि अनुशंसा के आधार पर श्री धीरेंद्र प्रसाद सिंह के पक्ष मे खेरवार जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था एवं संज्ञान मे आते हे इसे रद्द भी कर दिया गया था । जाति प्रमाण पत्र समयसीमा के अंतर्गत निर्वाचन के मद्देनजर निर्गत करना था एवं जाति प्रमाण पत्र तुरंत निर्गत करने के लिए राजनीतिक नेताओं का दबाव भी था । इसलिए समयाभाव में मूल स्थान वाले मामलों कि जाँच नहीं कराई जा सकी थी, लेकिन मामला संज्ञान में आते ही इनके द्वारा उक्त जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया था । अध्यक्ष गुमला नगर पंचायत के नाम निर्देशन के दौरान श्री धीरेंद्र प्रसाद सिंह के पक्ष में खेरवार जाति (अनुसूचित जनजाति) का निर्गत जाति प्रमाण पत्र को इनके द्वारा पत्रांक 368(ii) रा० दिनांक 16 मार्च, 2013 से निरस्त करने हेतु इसकी सूचना अनुमण्डल पदाधिकारी सह निर्वाचन पदा० गुमला को प्रेषित कि गई थी । लेकिन किसी प्रकार कि आपत्ति प्राप्त न होने के कारण श्री सिंह का nomination (नाम निर्देशन) रद्द नहीं किया गया था । अतः उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर मेरे विरुद्ध जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में सरकारी नियम उल्लंघन करने का आरोप लगाया जाना न्यायोचित नहीं होगा ।

आरोप सं०- 2 पर बचाव बयान- आरोप सं०-1 के संबंध में दिये गए स्पष्टीकरण में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर श्री धीरेंद्र प्रसाद सिंह के पक्ष में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था । प्रासांगिक प्रमाण पत्र श्री के द्वारा समर्पित अभिलेख एवं जाँच प्रतिवेदन के आधार पर निर्गत किया गया था, ताकि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अनावश्यक परेशानी न हो तथा खेरवार कि छवि धूमिल न हो । गलत प्रत्याशी का चयन एवं सरकारी राशि कि क्षति कि मंशा इनकी नहीं थी । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा श्री धीरेंद्र प्रसाद सिंह, पिता युधिष्ठिर प्रसाद सिंह, निवर्तमान अध्यक्ष गुमला नगर पंचायत कि सदस्यता को अयोग्य ठहराया गया है एवं उनकी सदस्यता समाप्त कि जा चुकी है । इसके अतिरिक्त उपायुक्त गुमला द्वारा धीरेंद्र प्रसाद सिंह के विरुद्ध झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन चुनाव याचिका नियमावली 2011 एवं भा०द०वि० कि सुसंगत धाराओं के तहत जालसाजी, धोखाधड़ी कर फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर गुमला नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने के आरोप में स्थानीय थाना में प्राथमिकी करने का निर्देश अपने पत्रांक 132(ii) ग्रा०प० दिनांक 26 मार्च, 2015 को श्री प्रेम कुमार महतो, कार्यपालक पदाधिकारी, गुमला नगर पंचायत, गुमला को निर्गत किया गया था एवं तदनुसार श्री धीरेंद्र प्रसाद सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है ।

आरोप सं०- 3 पर बचाव बयान- आरोप सं०- 1 एवं 2 पर दिये गए स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि सरकारी निदेशानुसार समर्पित प्रमाण पत्रों/कागजातों की जाँच-पड़ताल कर श्री धीरेंद्र प्रसाद सिंह के पक्ष में जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था । संज्ञान मे आते ही उक्त जाति प्रमाण पत्र को तुरंत इनके द्वारा निरस्त किया गया था एवं इसकी सूचना अनुमण्डल पदाधिकारों सह निर्वाचन पदाधिकारी गुमला को अंचल कार्यालय, गुमला के पत्रांक 368(ii) रा० दिनांक 16 मार्च, 2013 को दी गई थी । पुनः उपायुक्त, गुमला से प्राप्त निदेश के आलोक में विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाकर श्री सिंह के पक्ष में निर्गत जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया था । इनके द्वारा सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया गया है । सरकारी सेवक आचरण नियमावली के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं किया गया है ।

आरोप सं०-1 पर मन्तव्य- उपस्थापन पदाधिकारी एक ओर आरोप संख्या- 1 के संदर्भ में कर रहे है कि अंचल अधिकारी को कोई भी प्रमाण-पत्र सम्यक जांचोपरांत पूर्ण संतुष्टि के उपरांत निर्गत करना चाहिए था, जो नहीं किया गया । दूसरी ओर आरोप संख्या- 2 के संदर्भ में उपस्थापन पदाधिकारी का मन्तव्य है कि सामान्य प्रक्रिया के तहत किसी भी व्यक्ति का जाति प्रमाण-पत्र क्षेत्रीय कर्मचारी की अनुशंसा के आधार पर ही निर्गत किया जाता है तथा प्रश्नगत मामले में उसी प्रचलित प्रक्रिया के तहत प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है । इस प्रकार आरोप संख्या- 1 एवं 2 के संबंध में उपस्थापन पदाधिकारी का मन्तव्य परस्पर विरोधी है । सामान्यतः क्षेत्रीय कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर ही जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है । इससे में भी पूर्णतः सहमत हूँ । इस मामले में भी संबन्धित हल्का कर्मचारी तथा वार्ड कमिश्नर के प्रतिवेदन के आधार पर ही जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है, इसे उपस्थापन पदाधिकारी भी स्वीकार करते है, और प्रस्तुत साक्ष्यों से भी स्पष्ट है ।

आरोप संख्या-1 की विवरणी में कहा गया है की यदि श्री धीरेंद्र प्रसाद सिंह के मूलस्थान ग्राम-पगार, पोस्ट-पाण्डु, थाना- केरेडारी, जिला-हजारीबाग से जाँच करायी गयी होती तो अनुसूचित जनजाति का प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि भूमि अभिलेख के अनुसार इनकी जाति छतरी है । मैं इससे पूर्णतः सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि संचिका में संधारित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है की श्री सिंह के खेरवार जनजाति होने का प्रमाण-पत्र सर्वप्रथम प्रखण्ड कार्यालय केरेडारी से जाति प्रमाण-पत्र संख्या- 363 दिनांक 28 अक्टूबर, 1996 निर्गत किया गया । तत्पश्चात इसी प्रमाण पत्र के आधार पर अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा प्रमाण-पत्र संख्या 48 दिनांक 29 जनवरी, 1998 द्वारा जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया । कालांतर में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र संख्या 48 दिनांक 29 जनवरी, 1998 के आधार पर हजारीबाग जिला के संबन्धित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन तथा आवेदक श्री सिंह के द्वारा समर्पित वंशावली, शपथ पत्र तथा खतियान की छायाप्रति के आधार पर पुनः प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, केरेडारी के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र संख्या- 1878 दिनांक 19 नवम्बर, 2009, आवेदक श्री सिंह को खेरवार (अ.ज.जा.) जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया, जिसके आधार पर अनुमण्डल पदाधिकारी सदर हजारीबाग द्वारा पुनः जाति प्रमाण-पत्र संख्या 3315 दिनांक 19 नवम्बर, 2009 श्री

धीरेंद्र प्रसाद सिंह के पक्ष में खेरवार (अ.ज.जा.) का प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया, जो उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है । इस प्रकार दो बार वर्ष 1998 तथा 2009 में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, केरेडारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा चुका था । वर्ष 2009 में तो राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक की भी अनुशंसा थी ।

हाँ यह सच है की जब हजारीबाग से जाति प्रमाण-पत्र निर्गत था ही तो पुनः गुमला से जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने से पूर्व थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए थी, क्योंकि यह सामान्य से हटकर थोड़ा अलग मामला था तथा आवेदन में प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का उद्देश्य शैक्षणिक कार्य एवं आवश्यक कार्य बताया गया था, कहीं भी नगर निकाय के चुनाव में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का जिक्र नहीं है । आरोपी के द्वारा अपेक्षित सावधानी नहीं बरतने के कारण गलत जाति प्रमाण-पत्र निर्गत हो गया। गलत जाति प्रमाण-पत्र निर्गत हुआ, इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि आरोपी पदाधिकारी के द्वारा ही पुनः जाति प्रमाण-पत्र को रद्द किया गया है ।

अतः आरोपी के विरुद्ध प्रथम आरोप तो प्रमाणित होता है, किन्तु जिन परिस्थितियों में आरोपी से यह गलती हुई, यह आरोपी के बचाव बयान तथा उपरयुक्त कंडिकाओं में स्पष्ट किया गया है, जिससे अनुमंडल पदाधिकारी (उपस्थापन पदाधिकारी) गुमला भी सहमत है । अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध प्रथम आरोप के संबंध में संतुलित निर्णय लिया जाना चाहिये ।

आरोप सं०-2 पर मन्तव्य- आरोप संख्या-2 संदर्भ में आरोपी के बचाव बयान पर उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य की प्रथम कंडिका में कहा गया है कि गैर अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को अनुसूचित जन जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के कारण ही अ.ज.जा. के लिए सुरक्षित पद पर गैर अ०ज० जाति व्यक्ति द्वारा नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ा गया एवं निर्वाचित हुए, जिससे सरकारी राजस्व की क्षति हुई, वही दूसरी ओर अंतिम कंडिका में कहा गया है कि प्रश्नगत मामले में प्रचलित प्रक्रिया के अनुरूप प्रमाण-पत्र निर्गमन का कार्य तत्कालीन अंचल अधिकारी श्रीमति अलका कुमारी (आरोपी पदाधिकारी) द्वारा किया गया है, जिसमें इनकी किसी प्रकार कि अन्यथा मंशा का कोई संदेह दिखाई नहीं देता है और न कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार की चूक दिखाई देती है ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग द्वारा फर्जी अनुसूचित जन जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुना जीतने के संबंध में दिनांक 13 सितम्बर, 2013 को की गयी बैठक के कार्यवृत में यद्यपि परिवादकर्त्ता का नाम स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन इतना तो सहज अनुमान किया जा सकता है की उस क्षेत्र के ही किसी व्यक्ति के द्वारा अ.ज.जा. आयोग के समक्ष परिवाद दिया गया होगा । इससे यह भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है की परिवादकर्त्ता/कर्त्ताओं को युधिष्ठिर प्रसाद सिंह के अनुसूचित जन जाति नहीं होने की जानकारी पूर्व से प्राप्त रही होगी । श्री सिंह वर्ष 2005 एवं 2009 के विधान सभा निर्वाचन में 68- गुमला

(अ.ज.जा.) विधान सभा क्षेत्र से प्रत्याशी भी थे, लेकिन किसी के द्वारा उनके अ.ज.जा. नहीं होने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गयी और न कोई परिवाद ही दिया गया । वर्ष 2013 के नगर निकाय चुनाव में भी नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के क्रम में कोई आपति नहीं की गयी । जब 2013 के निकाय चुनाव में श्री सिंह विजयी हो गए तब यह मामला प्रकाश में लाया गया । सुनवाई के क्रम में यह भी विदित हुआ कि श्री सिंह बहुत पहले से गुमला में किराये के मकान में रहकर ठेकेदारी करते थे, बाद में वे चुनाव भी लड़ने लगे । अतः श्री सिंह कि जाति के संबंध में गुमला क्षेत्र के लोगों को पूर्व से जानकारी नहीं रही होगी, यह बात मानने योग्य प्रतीत नहीं होती है । किसी व्यक्ति कि गलत कारगुजारियों पर जबतक समाज मौन रहता है तब तक उसके गलत कारनामे फलते-फूलते रहते है । बाहर से आकार नौकरी करने वाले किसी पदाधिकारी के लिए सूचना के स्त्रोत तो उस क्षेत्र के नागरिक ही होते है । आरोपी पदाधिकारी के द्वारा मामला संज्ञान में आते ही अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना दी गयी थी । यदि उनके द्वारा मामले को दबाकर कोई कार्रवाई नहीं कि जाती तो उन्हें दोषी ठहराया जा सकता था । इसलिए एक गैर अ.ज.जा. के व्यक्ति द्वारा अ.ज.जा. के लिए सुरक्षित पद पर चुनाव लड़ने का ठीकरा आरोपी के माथे फोड़ना उचित नहीं प्रतीत होता है । उपस्थापन पदाधिकारी के द्वारा भी आरोपी का कोई अन्यथा मंशा का संदेह व्यक्त नहीं किया गया है । अतः उपरोक्त तथ्यों से आरोपी के विरुद्ध सरकारी राजस्व की क्षति पहुंचाने का आरोप सही नहीं प्रतीत होता है ।

आरोप सं०-3 पर मन्तव्य- सरकारी सेवक आचरण नियमावली का नियम-3(1) निम्नवत है:-

Every Government Servent shall at all times.

(i) Maintain absolute integrity

(ii) Maintain devotion to duty

(iii) do nothing which is unbecoming of a government servent.

नियम- 3(1) (i) एवं (iii) के प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने का आरोप इस मामले में सही नहीं प्रतीत होता है ।

नियम- 3(1) (ii) के संदर्भ में इस मामले का थोड़ा विश्लेषण आवश्यक प्रतीत होता है । आरोपों की विवरणी में आरोप संख्या-1(ख) में यह भी कहा गया है कि श्री सिंह, गुमला के निवासी भी नहीं है । इनकी जाति को प्रमाणित करने का कोई अभिलेख इस जिले में उपलब्ध नहीं है । अतः इस जिला से इन्हें अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने का कोई औचित्य नहीं है ।

झारखण्ड सरकार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाष विभाग के पत्रांक 3540, दिनांक 3 जुलाई, 2004 एवं 3376, दिनांक 5 जून, 2008 में जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु अंकित अनुदेश निम्न प्रकार है :-'

"सामान्यतः जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु भू-अभिलेख/पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका नगर निगम/निबंधन कागजातों के आधार पर किसी व्यक्ति की जाति का निर्धारण किया जा सकता है यद्यपि यदि किसी व्यक्ति द्वारा उल्लिखित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया जा सके तो ईमानदारीपूर्वक स्थानीय जांच कर जाति का निर्धारण किया जा सकता है" ।

आवेदक के द्वारा 14-गुमला नगर पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-18 की मतदाता सूची की छायाप्रती संलग्न की गयी थी । इस मतदाता सूची के क्रमांक-442 पर आवेदक का नाम दर्ज है ।

मतदाता सूची को तकनीकी रूप से नगर पंचायत का कागजात मानना उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग की देख-रेख में तैयार की जाति है । नगर पंचायत का कागजात से यहाँ तात्पर्य है होल्डिंग टैक्स आदि से संबन्धित रसीद ।

आवेदक के आवेदन के साथ उपर्युक्त कागजातों में से कोई भी कागजात संलग्न नहीं था, इसलिए आरोपी को ऐसी स्थिति में स्थानीय जाँच कर ही प्रमाण-पत्र निर्गत करना चाहिए था । चूँकि आवेदन के साथ विभिन्न प्रकार के अन्य साक्ष्य संलग्न किए गए थे, फलतः आरोपी धोखे में आ गयी और जाति प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरित कर दिया । परंतु इसे निम्न Comment and case Laws के आलोक में 'Lack of devotion to duty' कहना शायद उचित नहीं होगा ।

" But in any case, failure to attain the highest standard of efficiency in performance of duty permitting an inference or negligence would not constitate misconduct nor for the purpose of Rule 3 of the conduct Rules as would indicate lack of devotion to duty. उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी के विरुद्ध गठित प्रथम आरोप के संदर्भ में संतुलित निर्णय लिया जा सकता है ।

आरोपित पदाधिकारी श्रीमति कुमारी के विरुद्ध आरोप, इनके बचाव बयान तथ संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन-सह मन्तव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया की श्रीमति कुमारी द्वारा श्री धीरेंद्र प्रसाद सिंह के पक्ष में गलत जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का आरोप प्रमाणित हुआ है, जिससे गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के कारण ही अनुसूचित जनजाति सुरक्षित पद पर गैर अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के द्वारा नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ा गया और वे निर्वाचित भी घोषित किए गए ।

इस प्रकार गलत प्रत्याशी के चयन होने के कारण सरकार को भरी राजस्व की क्षति हुई तथा सरकार की छवि धूमिल हुई । हालाँकि आरोपी पदाधिकारी के द्वारा श्री धीरेंद्र प्रसाद सिंह के पक्ष में निर्गत गलत जाति प्रमाण पत्र का मामला संज्ञान में आते ही अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना दी गई और उक्त मामले को दबाने का प्रयास नहीं किया गया ।

अतः समीक्षोपरांत, श्रीमति अलका कुमारी, झा०प्र०से० (प्रथम बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, गुमला के विरुद्ध झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(IV) के तहत लघु शास्ति के रूप में दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2502

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 750 -- 50